

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आर. टी. आई./2330/39

दिनांक:25.06.2024

सेवा में,

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बारु सिंह,
ग्राम व पोस्ट नन्दी, जनपद सहारनपुर,
सहारनपुर, उ. प्र. (मो. न. 8394014521)

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2024 (स्पीड पोस्ट दिनांक 08.06.2024) के संदर्भ में ।
महोदय,

आपके आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2024 जो कि आपने दिनांक 08.06.2024 को स्पीड पोस्ट किया है एवं दिनांक 12.06.2024 को प्राप्त हुआ। यह पत्र आपने कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को भेजा है। इस पत्र के तहत आपने आपके द्वारा भेजा गया एक शिकायती पत्र दिनांक 26.02.2024 के संदर्भ में आज तक क्या कार्यवाही की गयी है कि जानकारी मांगी है। आपके आर. टी. आई. पत्र स्पीड पोस्ट दिनांक 08.06.2024 को आर. टी. आई प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया है। इस संदर्भ में आपको जानकारी देना चाहते है कि आपके शिकायती पत्र में अंकित सार का अध्ययन कर सम्बंधित पावरग्रिड कार्यालय के द्वारा यह जानकारी दी गई कि 132 के.वी द्विपरिपथ जगाधरी – टपरी पारेषण लाइन निर्माण के दौरान क्षतिपुर्ति कि एवज राजस्व विभाग से सत्यापन के उपांत खसरा संख्या 105 तथा 107 में प्रभावित किसानो को मुआवजा भुगतान किया गया है और इसमे कोई आर्थिक अनियमितता नहीं हुई है।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा,
कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय



[उपेन्द्र सिंह]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.0129-2666305

CIN No. L40101DL1989GOI038121

उत्तरी क्षेत्र-1 मुख्यालय, एस.सी.ओ.-बे संख्या 5 से 10, सेक्टर-16ए, फरीदाबाद, हरियाणा-121002
Northern Region-1 Headquarters, SCO - Bay No.5 to 10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002